श्रेष्ठ सुप्रभात

एक सच्चे व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उसमें इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वह कभी पराजित नहीं होता।

-आचार्य महाश्रमण

NEXT™
NEWS EXCELLENT TODAY

तापमान (डिग्री सेल्सियस)

	अधिकतम	न्यूनतम
श्रीडूंगरगढ़	22.0	7.0
बीकानेर	23.0	7.0
जयपुर	22.0	7.0

E- Paper NEXT 0029

newsexcellenttoday.com | 09 जनवरी 2025, गुरुवार | पौष, शुक्ल पक्ष दशमी - 2081

सड़क सुरक्षा माह: दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए श्रीडूंगरगढ़ पुलिस की सख्ती, चालान जारी

NEXT श्रीडूंगरगढ़ थाने के सामने पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।
एएसआई रविन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा वाहन चालकों की जांच की जा रही है, जिसमें बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं।

एएसआई ने बताया कि यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

प्रयागराज के संगम तट पर भागवत कथा का शुभारंभ, देशभर से उमड़ रहे श्रद्धालु

NEXT कुंभ मेले के प्रारंभिक अवसर पर तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर बुधवार को श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। झूसी स्थित राधा सर्वेश्वर नगर के विशाल पांडाल में आयोजित इस कथा का नेतृत्व जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर राधा मोहन शरण देवाचार्य महाराज कर रहे हैं। सात दिवसीय इस कथा के पहले दिन महाराज ने भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए इसे अमृत तुल्य बताया।
महाराज ने कहा कि भागवत कथा मानव को मृत्यु के भय से मुक्त कर जीवन में शांति और मोक्ष प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह कथा न केवल परीक्षित के भय को दूर करती है, बल्कि मोह में फंसे हर व्यक्ति के लिए मुक्तिदायक है। भागवत कथा से हृदय की अशुद्धता समाप्त होती है और भक्ति का आगमन होता है।
कथा की शुरुआत त्रिवेणी संगम से जल कलश

लाकर भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। जयपुर निवासी यजमान हरिप्रसाद जांगिड़ और उनकी पत्नी सुनीता जांगिड़ ने भागवत को सिर पर धारण कर विधिवत पूजन-अर्चन किया।
डॉ. चेतन स्वामी ने बताया कि कुंभ क्षेत्र में हजारों पांडाल सज चुके हैं और अगले कुछ दिनों में विभिन्न धार्मिक कथाओं का आयोजन होगा। बुधवार को मेला क्षेत्र में साधु-संतों की पेशवाई निकाली गई और संगम में स्नान के साथ धर्ममय वातावरण बना रहा। इस बार कुंभ क्षेत्र की सजावट और सुंदरता लोगों का मन मोह रही है।

आज होगी उपखंड स्तरीय जनसुनवाई, अटल जन सेवा शिविर का आयोजन

NEXT आज गुरुवार को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत समिति वीसी हॉल में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई एवं अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इस शिविर में आमजन की परिवेदनाओं व शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही, संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों का भी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
जनसुनवाई शिविर शाम 4:00 बजे तक या सभी मामलों के निपटारे तक जारी रहेगा।
उपखंड अधिकारी उमा मित्तल ने सभी संबंधित अधिकारियों को गत शिविर में प्राप्त शिकायतों और लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर मय प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सेरूणा थाना क्षेत्र में डोडा पोस्त तस्करी का मामला: दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

NEXT सेरूणा थाना क्षेत्र में डोडा पोस्त तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पहले सांवतसर निवासी बजरंग लाल को गिरफ्तार किया गया था। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत होने के कारण जांच श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने के एसआई धर्मपाल वर्मा को सौंपी गई थी।एसआई धर्मपाल वर्मा ने बताया कि गहन जांच के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी सुखराम पुत्र भैराराम निवासी कुदसू, थाना पांचू को गिरफ्तार किया। सुखराम को डोडा पोस्त का बड़ा तस्कर बताया जा रहा है।पुलिस ने दोनों

आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले की आगे जांच जारी है।

राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में एनएसएस विशेष शिविर के पंचम दिवस पर विविध गतिविधियां आयोजित

NEXT राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम और द्वितीय के संयुक्त तत्त्वावधान में चल रहे सात दिवसीय विशेष शिविर के पंचम दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती

वंदना और माल्यार्पण के साथ हुई।
पहले सत्र में योग प्रशिक्षिका प्रतिभा तंवर ने स्वयंसेवकों को योग और व्यायाम करवाते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
दूसरे सत्र में 'माय भारत आउटरीच' कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विनोद कुमारी और डॉ. हिमांशु कांडपाल के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने अपने घरों से एकत्रित खाद्य सामग्री, गर्म कपड़े, शिक्षण सामग्री और कंबल जरूरतमंदों को वितरित किए।
यह सामग्री राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह, प्रताप बस्ती, बड़ा रानीसर बास और आंगनबाड़ी केंद्र में बांटी गई।
तीसरे सत्र में स्वयंसेवकों ने नशा मुक्ति रैली निकालकर आमजन को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
चौथे सत्र में मुख्य वक्ता डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने "भारतीय चिंतन एवं ज्ञान परंपरा" पर व्याख्यान दिया। व्याख्यान के बाद स्वयंसेवकों ने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाएं शांत की।
पांचवें सत्र में "आर्ट एंड क्राफ्ट" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से लक्षिका मोदी और प्रतिभा तंवर ने प्राप्त किया, जबकि कुमकुम जाजड़ा ने दूसरा और अंशु ओझा ने तीसरा स्थान हासिल किया।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विनोद कुमारी और डॉ. हिमांशु कांडपाल सहित कर्मचारी नीतू परिहार, तनुजा कंवर, परमेश्वरी, श्रवण राइका, विक्रम गोदारा और सुरेश उपस्थित रहे।

लोकसेवकों के कर्त्तव्य विरुद्ध कार्य होने पर दण्ड का प्रावधान

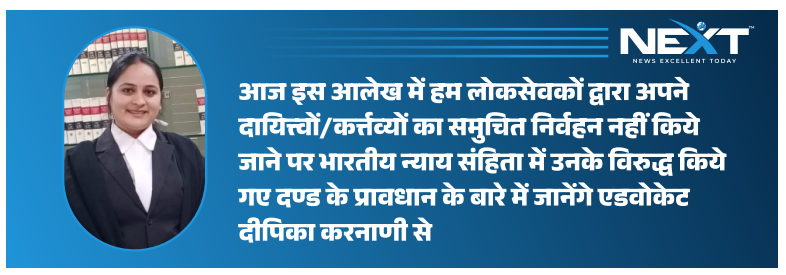

आम आदमी सरकारी तंत्र में नियुक्त या निर्वाचित व्यक्ति को साब- साब कहकर अपना काम करवाना चाहता है। जबकि ये सभी आमजन की सेवा में नियुक्त लोकसेवक होते हैं। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब इन लोकसेवकों द्वारा आमजन पीड़ित होता है और वह डर के मारे चुप होकर बैठ जाता है।
NEXT लेकर आया है एक ऐसी कानूनी जानकारी जो आमजन को भयभीत नहीं, निर्भीक बनाएगी। और इसे पढ़कर आमजन लोकसेवकों के कर्त्तव्यों और स्वयं के अधिकारों के बारे में जान पाएंगे।
लोकसेवक कौन होता है?
लोकसेवक वह व्यक्ति होता है जो स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त होता है या जनता द्वारा निर्वाचित होता है।
उदाहरण के लिए कलेक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, न्यायालय जज, एसपी, थानाधिकारी, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, बिजली अभियंता आदि। निर्वाचित व्यक्ति में सरपँच, नगरपालिका चेयरमैन आदि व्यक्ति होते हैं।
इन लोकसेवकों द्वारा अपराध किये जाने के संबंध में क्या-क्या दण्ड होता है?
धारा 198 के अनुसार, कोई भी लोकसेवक कानून की अवज्ञा यह जानते हुए करता है कि इस अवज्ञा से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे तो उस लोकसेवक को 1वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
धारा 199 के अनुसार, कोई लोकसेवक किसी ऐसी रीति से ऐसा अन्वेषण यानि तफ्तीश करेगा जो विधि के किसी अन्य निदेश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करेगा। उदाहरण, कोई पुलिस अधिकारी अगर विधि के अनुसार जांच नहीं करता है तो उसका यह कृत्य दोष युक्त है। इसमें दोषी को 2 साल का कारावास और दण्ड का प्रावधान है।
धारा 201 के अनुसार, किसी लोकसेवक यह जानते हुए की किसी दस्तावेज की रचना तैयार या अनुवाद यह जानते हुए की यह अशुद्ध है। और इस आशय से किसी व्यक्ति को क्षति कारक करे तो उस लोकसेवक को 3वर्ष का कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
धारा 202 के अनुसार, कोई लोकसेवक व्यापार करता है या व्यापार में लगता है तो उसे 1वर्ष की सजा और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा 203 के अनुसार, लोकसेवक विधि विरुद्ध संपत्ति को क्रय करता है या बोली लगाता है या किसी दूसरे के नाम से संपत्ति/संपत्ति के भाग को खरीदता है तो उसे 2वर्ष की सजा और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा 255 के अनुसार, कोई लोकसेवक किसी व्यक्ति को दण्ड से बचाने के लिए या संपत्ति को कुर्क होने से बचाने के लिए कानून की अवज्ञा करता है तो उसे 2वर्ष का कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा 256 के अनुसार, अगर कोई लोकसेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या सम्पत्ति की जब्ती से बचाने के लिए अशुद्ध रिकॉर्ड या अशुद्ध लिखित की रचना करता है तो उसे 3वर्ष का कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा 257 के अनुसार, कोई लोकसेवक किसी न्याय कार्यवाही में झूठी रिपोर्ट बेईमानीपूर्ण आशय से देता है तो उसे 7 वर्ष की सजा और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा 261 के अनुसार, लोकसेवक ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है और उसकी लापरवाही से उसकी अभिरक्षा से वह भाग जाता है तो लोकसेवक को 2वर्ष की सजा और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता: 445 प्रतिभागी द्वितीय चरण के लिए चयनित

NEXT आचार्य महाप्रज्ञ की पुस्तक 'शक्ति के स्रोत' पर आधारित अणुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता-2024 के प्रथम चरण का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। प्रतियोगिता के स्थानीय संयोजक पवन कुमार सेठिया ने बताया कि इस चरण में देश-विदेश के 2603 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 445 प्रतिभागी द्वितीय चरण के लिए चयनित हुए हैं।अणुव्रत समिति, श्रीडूंगरगढ़ के अध्यक्ष सुमति पारख के आर्थिक सहयोग से 50 पुस्तकें और प्रश्न पुस्तिकाएं प्रतिभागियों को निःशुल्क प्रदान की गईं।संस्था मंत्री एडवोकेट रणवीर सिंह खीची ने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के 7 प्रतिभागियों ने 400 में से 400 अंक हासिल कर द्वितीय चरण में प्रवेश किया है। इन प्रतिभागियों में पवन कुमार सेठिया, सुमित बरडिया, महेश जोशी, नितेश जोशी, सरोज देवी बाफना, मोनिका मालू और करिश्मा बाफना शामिल हैं।